संख्या–वे0आ0–2–385/दस–54(एम)/2008टी0सी0

प्रेषक,

अजय अग्रवाल,
विशेष सचिव, वित्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
खाद्य एवं रसद विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–2 लखनऊ : दिनांक : 18 मार्च, 2011

विषयः– वेतन समिति (2008) के दसवें प्रतिवेदन (भाग–1) में खाद्य एवं रसद विभाग के सम्बन्ध में की गयी विस्तृत संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयों के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है वेतन समिति द्वारा खाद्य एवं रसद विभाग के सम्बन्ध में दसवें प्रतिवेदन (भाग–1) में दी गयीं संस्तुतियों पर निम्न निर्णय लिये गये हैं :––

(1) खाद्य विभाग के महत्वपूर्ण एवं बढ़े हुए कार्यो को दृष्टिगत रखते हुए खाद्य विभाग की पूर्ति शाखा तथा विपणन शाखा में उपलब्ध पदों पर निम्न व्यवस्था की जाय :––

(क) <u>पूर्ति शाखा</u>

(I) पूर्ति निरीक्षक के पद पर वर्तमान में अनुमन्य वेतनमान रू0 4500–7000 (पुनरीक्षित वेतन संरचना में सादृश्य वेतन बैण्ड–1 रू0 5200–20200 एवं ग्रेड वेतन रू0 2800/–) के स्थान पर रू0 5000–8000 (पुनरीक्षित वेतन संरचना में सादृश्य वेतन बैण्ड–2 रू0 9300–34800 एवं ग्रेड वेतन रू0 4200/–) का उच्चीकृत/संशोधित वेतनमान निर्धारित किया जाय। साथ ही पूर्ति निरीक्षक पर लिपिकीय एवं आशुलिपिक के पदों से पदोन्नति की व्यवस्था समाप्त कर लोक सेवा आयोग के माध्यम से शत प्रतिशत सीधी भर्ती की व्यवस्था (वर्तमान अर्हता निर्धारित रखते हुए) की जाय। सम्बन्धित नियमावली में शीघ्र अतिशीघ्र तद्नुसार संशोधन कर लिया जाय।

(II) वरिष्ठ पूर्ति निरीक्षक वेतनमान रू0 5000–8000 (पुनरीक्षित वेतन संरचना में सादृश्य वेतन बैण्ड–2 रू0 9300–34800 एवं ग्रेड वेतन रू0 4200/–) पदों को क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी वेतनमान रू0 5500–9000 (पुनरीक्षित वेतन संरचना में सादृश्य वेतन बैण्ड–2 रू0 9300–34800 एवं ग्रेड वेतन रू0 4200/– के पदों के साथ

संविलीन कर उच्चीकृत/संशोधित वेतनमान रू0 7450–11500 (पुनरीक्षित वेतन संरचना में सादृश्य वेतन बैण्ड–2 रू0 9300–34800 एवं ग्रेड वेतन रू0 4600/–) निर्धारित किया जाय। उपर्युक्तानुसार संविलियन के उपरान्त क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी के संबंधित पदों पर पूर्ति निरीक्षक के पदधारकों से शत–प्रतिशत पद पदोन्नति द्वारा नियुक्ति की व्यवस्था की जाय।

(III) जिला पूर्ति अधिकारी ग्रेड–2 के पदों पर वेतनमान रू0 6500–10500 (पुनरीक्षित वेतन संरचना में सादृश्य वेतन बैण्ड–2 रू0 9300–34800 एवं ग्रेड वेतन रू0 4600/–) के स्थान पर उच्चीकृत/ संशोधित वेतनमान रू0 7500–12000 (पुनरीक्षित वेतन संरचना में सादृश्य वेतन बैण्ड–2 रू0 9300–34800 एवं ग्रेड वेतन रू0 4800/–) निर्धारित किया जाय।

(IV) उपायुक्त खाद्य (वेतनमान रू0 10000–15200) के 20 तथा उपायुक्त खाद्य (मुख्यालय) वेतनमान रू0 12000–16500 के 01 पद कुल 21 पदों के स्थान पर निम्न व्यवस्था की जाय :–

(अ) उपायुक्त खाद्य वेतनमान रू0 10000–15200 (पुनरीक्षित वेतन संरचना में सादृश्य वेतन बैण्ड–3 रू0 15600–39100 एवं ग्रेड वेतन रू0 6600/–) के 15 पद। इस पद पर जिला पूर्ति अधिकारी के पद से पदोन्नति की व्यवस्था रखी जाय।

(ब) संयुक्त आयुक्त खाद्य रू0 12000–16500 (पुनरीक्षित वेतन संरचना में सादृश्य वेतन बैण्ड–3 रू0 15600– 39100 एवं ग्रेड वेतन रू0 7600/–) के 05 पद। इस पद पर उपायुक्त खाद्य के पद से पदोन्नति की व्यवस्था रखी जाय।

(स) अतिरिक्त आयुक्त खाद्य रू0 14300–18300 (पुनरीक्षित वेतन संरचना में सादृश्य वेतन बैण्ड–4 रू0 37400– 67000 एवं ग्रेड वेतन रू0 8700/–) का 01 पद। इस पद पर संयुक्त आयुक्त खाद्य के पद से पदोन्नति की व्यवस्था रखी जाय।

(ख) <u>विपणन शाखा</u>

(I) विपणन निरीक्षक के पद पर वर्तमान में अनुमन्य वेतनमान रू0 4500–7000 (पुनरीक्षित वेतन संरचना में सादृश्य वेतन बैण्ड–1 रू0 5200–20200 एवं ग्रेड वेतन रू0 2800/–) के स्थान पर एक स्तर उच्च वेतनमान रू0 5000–8000 (पुनरीक्षित वेतन संरचना में सादृश्य वेतन बैण्ड–2 रू0 9300–34800 एवं ग्रेड वेतन रू0 4200/–) निर्धारित किया जाय। विपणन निरीक्षक के पद पर विभाग के लिपिकीय पदों से पदोन्नति की व्यवस्था समाप्त की जाय और विपणन निरीक्षक के पदों पर लोक सेवा आयोग के माध्यम से

शत प्रतिशत सीधी भर्ती की व्यवस्था (वर्तमान अर्हता निर्धारित रखते हुए) निर्धारित की जाय।

(II) वरिष्ठ विपणन निरीक्षक के पद, जो विपणन निरीक्षक हेतु पदोन्नति का पद है, पर अनुमन्य वेतनमान रू0 5000–8000 (पुनरीक्षित वेतन संरचना में सादृश्य वेतन बैण्ड–2 रू0 9300–34800 एवं ग्रेड वेतन रू0 4200/–) के स्थान पर पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन बैण्ड–2 रू0 9300–34800 एवं ग्रेड वेतन रू0 4600/– निर्धारित किया जाय। इन पदों पर विपणन निरीक्षक के पद से शत–प्रतिशत पदोन्नति द्वारा नियुक्ति की व्यवस्था रखी जाय।

(III) जिला खाद्य विपणन अधिकारी के पद पर वर्तमान में अनुमन्य वेतनमान रू0 6500–10500 (पुनरीक्षित वेतन संरचना में सादृश्य वेतन बैण्ड–2 रू0 9300–34800 एवं ग्रेड वेतन रू0 4600/–) के स्थान पर उच्चीकृत/ संशोधित वेतनमान रू0 7500–12000 (पुनरीक्षित वेतन संरचना में सादृश्य वेतन बैण्ड–2 रू0 9300–34800 एवं ग्रेड वेतन रू0 4800/–) निर्धारित किया जाय।

(IV) जिला खाद्य विपणन अधिकारी के लिए उपलब्ध पदोन्नति के पद, संभागीय खाद्य विपणन अधिकारी के वर्तमान वेतनमान रू0 8000–13500 (पुनरीक्षित वेतन संरचना में सादृश्य वेतन बैण्ड–3 रू0 15600–39100 एवं ग्रेड वेतन रू0 5400/–) के स्थान पर रू0 10000–15200 (पुनरीक्षित वेतन संरचना में सादृश्य वेतन बैण्ड–3 रू0 15600–39100 एवं ग्रेड वेतन रू0 6600/–) का उच्चीकृत/संशोधित वेतनमान अनुमन्य कराया जाय। इन पदों पर मौलिक रूप से नियुक्त 05 वर्ष की सेवा वाले जिला खाद्य विपणन अधिकारी के पदधारकों से पदोन्नति द्वारा नियुक्ति की व्यवस्था रखी जाय।

(V) साथ ही संभागीय खाद्य नियंत्रक (विभागीय) पद, जो संभागीय खाद्य विपणन अधिकारी के लिये पदोन्नति का पद है, पर वर्तमान में अनुमन्य वेतनमान रू0 10000–15200 (पुनरीक्षित वेतन संरचना में सादृश्य वेतन बैण्ड–3 रू0 15600–39100 एवं ग्रेड वेतन रू0 6600/–) के स्थान पर रू0 12000–16500 (पुनरीक्षित वेतन संरचना में सादृश्य वेतन बैण्ड–3 रू0 15600–39100 एवं ग्रेड वेतन रू0 7600/–) का उच्चीकृत/संशोधित वेतनमान अनुमन्य कराया जाय। संभागीय खाद्य नियंत्रक (विभागीय) के पदों पर मौलिक रूप से नियुक्त 05 वर्ष की सेवा वाले जिला खाद्य विपणन अधिकारी के पदधारकों से पदोन्नति द्वारा नियुक्ति की व्यवस्था रखी जाय।

(VI) मुख्य विपणन अधिकारी के पद पर रू0 14300–18300 (पुनरीक्षित वेतन संरचना में सादृश्य वेतन बैण्ड–4 रू0 37400–67000 एवं ग्रेड वेतन रू0 8700/–) का उच्चीकृत/संशोधित वेतनमान तात्कालिक प्रभाव से अनुमन्य कराया जाने का औचित्य

बनता है। मुख्य विपणन अधिकारी के पदों पर मौलिक रूप से नियुक्त 07 वर्ष की सेवा वाले संभागीय खाद्य नियंत्रक (विभागीय) के पदधारकों से पदोन्नति द्वारा नियुक्ति की व्यवस्था रखी जाय।

(2) पूर्व उप प्रस्तर–1 में समिति द्वारा दी गयी संसतुतियों के अनुसार खाद्य विभाग की पूर्ति शाखा तथा विपणन शाखा में संबंधित पदों का ढ़ॉचा (पदनाम, वेतनमान, अर्हता/भर्ती की प्रकिया) निम्नानुसार निर्धारित किया जाय :––

(क) पूर्ति शाखा

क0 सं0	पदनाम/ दिनांक 01 जनवरी, 2006 के अनुसार पद संख्या	वेतनमान (पुनरीक्षित वेतन संरचना में सादृश्य वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन)	भर्ती का स्रोत तथा निर्धारित अर्हता
(1)	(2)	(3)	(4)
1–	पूर्ति निरीक्षक/ 753	रू0 5000–8000 (वेतन बैण्ड–2 रू0 9300–34800 एवं ग्रेड वेतन रू0 4200/–)	वर्तमान निर्धारित अर्हता के साथ लोक सेवा आयोग के माध्यम से शत प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा।
2–	वरिष्ठ पूर्ति निरीक्षक*/ 173	रू0 7450–11500 (वेतन बैण्ड–2 रू0 9300–34800 एवं ग्रेड वेतन रू0 4600/–)	05 वर्ष की सेवा वाले पूर्ति निरीक्षक से शत–प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा।
3–	क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी */ 77		
4–	जिला पूर्ति अधिकारी ग्रेड–2/ 43	रु0 7500–12000 (वेतन बैण्ड–2 रू0 9300–34800 एवं ग्रेड वेतन रू0 4800/–)	50 प्रतिशत वर्तमान में निर्धारित अर्हता के साथ सीधी भर्ती द्वारा सम्मिलित राज्य सेवा परीक्षा के आधार पर तथा 50 प्रतिशत पदों पर 05 वर्ष की सेवा वाले क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी से प्रोन्नति द्वारा।
5–	जिला पूर्ति अधिकारी ग्रेड–1/ 29	रू0 8000–13500 (वेतन बैण्ड–3 रू0 15600–39100 एवं ग्रेड वेतन रू0 5400/–)	जिला पूर्ति अधिकारी ग्रेड–2 से प्रोन्नति द्वारा।
6–	उपायुक्त/ 15	रू0 10000–15200 (वेतन बैण्ड–3 रू0 15600–39100 एवं ग्रेड वेतन रू0 6600/–)	05 वर्ष की सेवा वाले जिला पूर्ति अधिकारी ग्रेड–1 से प्रोन्नति द्वारा।
7–	संयुक्त आयुक्त/ 05	रू0 12000–16500 (पुनरीक्षित वेतन संरचना में सादृश्य वेतन बैण्ड–3 रू0 15600–39100 एवं	05 वर्ष की सेवा वाले उपायुक्त के पदों से पदोन्नति द्वारा।

		ग्रेड वेतन रू0 7600/–)	
8–	अपर आयुक्त / 01	रू0 14300–18300 (पुनरीक्षित वेतन संरचना में सादृश्य वेतन बैण्ड–4 रू0 37400–67000 एवं ग्रेड वेतन रू0 8700/–)	02 वर्ष की सेवा वाले संयुक्त आयुक्त से पदोन्नति द्वारा।

* वरिष्ठ पूर्ति निरीक्षक तथा क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी के पदों को संविलीन करते हुए सम्बन्धित पदों का स्तम्भ–3 के अनुसार वेतनमान अनुमन्य होगा।

(ख) विपणन शाखा

क0 सं0	पदनाम/दिनांक 01 जनवरी, 2006 के अनुसार पद संख्या	वेतनमान (पुनरीक्षित वेतन संरचना में सादृश्य वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन)	भर्ती का स्रोत तथा निर्धारित अर्हता
(1)	(2)	(3)	(4)
1	विपणन निरीक्षक/1133	रू0 5000–8000 (वेतन बैण्ड–2 रू0 9300–34800 एवं ग्रेड वेतन रू0 4200/–)	वर्तमान निर्धारित अर्हता के साथ लोक सेवा आयोग के माध्यम से शत प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा।
2	वरिष्ठ विपणन निरीक्षक/468	7450–11500/ (वेतन बैण्ड–2 रू0 9300–34800 एवं ग्रेड वेतन रू0 4600/–)	05 वर्ष की सेवा वाले विपणन निरीक्षक से शत प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा।
3	जिला खाद्य विपणन अधिकारी/69	7500–12000/ (वेतन बैण्ड–2 रू0 9300–34800 एवं ग्रेड वेतन रू0 4800/–)	50 प्रतिशत वर्तमान में निर्धारित अर्हता के साथ सीधी भर्ती द्वारा सम्मिलित राज्य सेवा परीक्षा के आधार पर तथा 50 प्रतिशत वरिष्ठ विपणन निरीक्षक से प्रोन्नति द्वारा।
4	संभागीय खाद्य विपणन अधिकारी/18	10000–15200 (वेतन बैण्ड–3 रू0 15600–39100 एवं ग्रेड वेतन रू0 6600/–)	05 वर्ष की सेवा वाले जिला खाद्य विपणन अधिकारी से पदोन्नति द्वारा।
5	संभागीय खाद्य नियंत्रक (विभागीय)/07	12000–16500 (वेतन बैण्ड–3 रू0 15600–39100 एवं ग्रेड वेतन रू0 7600/–)	05 वर्ष की सेवा वाले संभागीय खाद्य विपणन अधिकारी से पदोन्नति द्वारा।
6	मुख्य विपणन अधिकारी/01	14300–18300 (पुनरीक्षित वेतन संरचना में सादृश्य वेतन बैण्ड–4 रू0 37400–67000 एवं ग्रेड वेतन रू0 8700/–)	02 वर्ष की सेवा वाले संभागीय खाद्य नियंत्रक से पदोन्नति द्वारा।

(3) समिति द्वारा पूर्व प्रस्तर–1/2 में की गयी संस्तुति के अनुसार सम्बन्धित पदों पर उच्चीकृत/संशोधित वेतनमान तात्कालिक प्रभाव से अनुमन्य किया जाय।

(4) खाद्य एवं रसद विभाग में उपलब्ध सामान्य कोटि के पदों/संवर्गों पर वेतन समिति द्वारा पूर्व में दी गयी संस्तुतियॉ लागू होंगी।

(5) खाद्य एवं रसद विभाग के अन्य किसी पद/संवर्ग के वेतनमान संशोधन/वेतन विसंगति का प्रस्ताव विशिष्ट रूप से समिति के संज्ञान में नहीं है।

(6) खाद्य एवं रसद विभाग के अन्तर्गत स्थापित उ0प्र0 राज्य कर्मचारी कल्याण निगम/उ0प्र0 राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम तथा उत्तर प्रदेश सचिवालय खान–पान निगम के सम्बन्ध में समिति द्वारा अपनी संस्तुतियाँ क्रमशः प्रदेश के विभिन्न सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों तथा स्वशासी संस्थाओं के साथ बाद में दी जायेंगी।

(7) विधिक माप विज्ञान (बाँट एवं माप) विभाग तथा राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के सम्बन्ध में समिति द्वारा अपनी संस्तुतियाँ उपभोक्ता संरक्षण एवं बाँट–माप विभाग के अन्तर्गत अलग से दी जायेंगी।

2– कृपया उपर्युक्त निर्णय के कार्यान्वयन हेतु आवश्यक शासनादेश वित्त विभाग की सहमति से निर्गत करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(अजय अग्रवाल)
विशेष सचिव।

संख्या–वे0आ0–2–385(1)/दस–54(एम)/2008टी0सी0, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

(1) वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–1
(2) कार्मिक नियमावली सेल, उत्तर प्रदेश सचिवालय।
(3) निदेशक, एन0आई0सी0, छठा तल, योजना भवन, लखनऊ को शासनादेश वित्त विभाग की वेब साइट पर डाले जाने हेतु।

आज्ञा से,

(नरेन्द्र कुमार)
संयुक्त सचिव।